इलाहाबाद विकास प्राधिकरण इलाहाबाद।

प्रेस विज्ञप्ति

आज दिनॉक 24.05.2017 को विकास प्राधिकरण एवं नगर निगम द्वारा पुलिस व प्रशासन के सहयोग से अतिक्रमणों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में टी0बी0 सप्रू रोड सिविल लाइन्स में वृहद रूप से अतिक्रमण हटाया गया। अभियान के दौरान 10 मकानो तथा 10 दुकानों के सामनें नाली व उसके आगे बढाकर सड़क पर किये गये अतिक्रमण से सम्बन्धित सामाग्री टीन शेड आदि हटाया गया। सड़क पर स्थित 3 चाय नाश्ते की दुकानों व भटठी तोड़कर हटाया गया। 02 स्थानों पर नाली को कवर कर बनाये गये रैम्प तोड़कर एवं सड़क पटरी पर दो स्थान से वायर फेसिंग हटाये गये। उक्त के अतिरिक्त सड़क पर लगाये गये होर्डिंग साइन बोर्ड अन्य कई प्रकार के अतिक्रमण भी हटवाया गया। कुल लगभग 42 सड़क पटरी पर स्थित स्थायी/अस्थायी अतिक्रमणों को हटाया गया। मौके पर नगर निगम द्वारा रू0 35500/-जुर्माने के रूप में वसूला गया। टी0बी0 सप्रू रोड पर संचालित अवैध दुकानो, आवासीय भू उपयोग व्ययवसायिक गतिविधियो को चिनहित किया गया जिनके विरूद्ध उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत नोटिस जारी कर सीलिंग आदि कार्यवाही की जायेगी।

उक्त कार्यवाही में प्राधिकरण की ओर से विशेष कार्याधिकारी श्री आलोक कुमार पाण्डेय, नगर निगम के जोनल अधिकारी श्री रवीन्द्र, नगर मजिस्ट्रेट द्वितीय श्री प्रदीप कुमार के अतिरिक्त थाना सिविल लाइन्स का पुलिस बल, पी0ए0सी0 बल एवं ए0डी0ए0 प्रवर्तन दल व पुलिस बल उपस्थित रहे।

(पी0एन0यादव)
प्रभारी अधिकारी जन सम्पर्क

प्रतिलिपिः

सम्पादक समस्त दैनिक समाचार पत्रों को इस आशय के साथ प्रेषित है कि उक्त विज्ञप्ति को अपने सम्मानित समाचार पत्र में निःशुल्क प्रकाशित करानें का कष्ट करें।

24.05.17

प्रभारी अधिकारी जन सम्पर्क

इलाहाबाद विकास प्राधिकरण, इलाहाबाद

प्रेस विज्ञप्ति

आज दिनांक 24.05.2017 को उपाध्यक्ष महोदय के निर्देश पर जोनल अधिकारी श्री पी0एन0यादव के नेतृत्व में जोन सं–5 (झूँसी) में अनधिकृत निर्माणों/अवैध गतिविधियों के खिलाफ प्रवर्तन की कार्यवाही के दौरान 07 अवैध निर्माण सील किये गये जो निम्नवत है–

1. श्री साहब लाल यादव,बंधवा ताहिरपुर रेलवे फाटक के पास।
2. श्री बृजेश सिंह, बंधवा ताहिरपुर रेलवे फाटक के पास।
3. श्रीमती शांती देवी पत्नी श्री आर0एस0 त्रिपाठी नन्दी हाउस के पास बंधवा ताहिरपुर
4. श्रीमती रीता देवी पत्नी श्री राकेश मौर्या, नन्दी आउस के पास बंधवा ताहिरपुर।
5. श्री आशीष पाण्डेय बंधवा ताहिरपुर।
6. श्री वी0के0पाण्डेय देव नगर।
7. श्री विनय तिवारी एवं श्री अनुभव वर्मा की निर्माणाधीन साइट कटका झूँसी।

इसके अतिरिक्त मानचित्र स्वीकृत के अभाव में 08 व्यावसयिक गतिविधियो के विरूद्ध कारण बताओं नोटिस जारी किया गया है।

इसी क्रम में जोनल अधिकारी श्री पुष्कर श्रीवास्तव के नेतृत्व में अवैध निर्माणों के विरूद्ध सील बन्दी की कार्यवाही जो निम्नवत है–

1. श्री धीरेन्द प्रजापति पुत्र श्री राजेन्द्र प्रजापति मौजा डांडी तिगनौता अरैल करछना विना स्वीकृत मानचित्र प्राप्त किये जारी निर्माण को सील किया गया।
2. श्री इशरत उल्ला द्वारा डांडी महेवा (गंगोत्री नगर) में 45x30 क्षेत्रफल में प्रथम तल पर सटरिग के कार्य को सील किया।
3. श्रीमती मीरा पाण्डेय द्वारा अरैल उपरहार नैनी में भूतल पर 20x45 के क्षेत्रफल में बने निर्माण को सील किया गया।
4. श्रीमती निशा देवी द्वारा अरैल उपरहार नैनी इलाहाबाद में 20x45 में वने निर्माण को सील किया गया।
5. श्री श्याम मोहम्मद पुत्र श्री फैज द्वारा 20x50 के क्षेत्रफल में करबला अरैल नैनी में के भूतल पर बने निर्माण को सील किया गया।

उक्त कार्यवाही में जोनल अधिकारियों के अतिरिक्त क्षेत्रीय अवर अभियन्ता श्री ए0के0सिंह, श्री रवीन्द्र शुक्ला, भवन निरीक्षक, श्री कुँवर आनन्द सुपरवाइजर, सुरेश तिवारी एवं प्रवर्तन दल उपस्थित रहे।

(पी0एन0यादव)
प्रभारी अधिकारी जनसम्पर्क

प्रतिलिपि : सम्पादक– समस्त दैनिक समाचार पत्रों को इस आशय के साथ प्रेषित है कि उक्त विज्ञप्ति को अपने सम्मानित समाचार पत्र में निःशुल्क प्रकाशित करने का कष्ट करें।

24.05.17

प्रभारी अधिकारी जनसम्पर्क